

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

06 / 2023
17.02.2023

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
- प्रार्थी

बनाम

मै० राजेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा ग्राम मालेडा तहसील देवली

- अप्रार्थी

जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 01 मोटर मय पाईप आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:-

- 1- पुराकार सरकार - प्रार्थी की ओर से
- 2- अप्रार्थी - स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 12.04.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 10.02.2023 को जिला रसद अधिकारी बहमराह प्रवर्तन अधिकारीगण द्वारा मै० राजेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा ग्राम मालेडा के मकान में अवैध गैस सिलेण्डर के भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी की दुकान में 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहनों में रिफिलिंग के काम में आने वाली मोटर मय रेगूलेटर पाईप के रखी होना पाई गई। मौके पर पाई गई मोटर का एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुड़ा हुआ था। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोडा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य होता है। बिना वैध दस्तावेजों एवं अनुज्ञा पत्र के घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय पाईप मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-




जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी नाम	का मानक भार K.G.	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस K.G.
1	28892	(BPCL)	14.2	15.8	29.7	13.9
2	931656	(BPCL)	14.2	15.8	29.4	13.6
3	192567	(BPCL)	14.2	15.6	29.8	14.2
4	11200	(IOC)	14.2	15.4	29.7	14.3
5	248951	(BPCL)	14.2	16.5	16.5	0
6	306293	(IOC)	14.2	15.6	29.7	14.1
7	1120	(IOC)	14.2	15.6	15.6	0
8	820619	(BPCL)	14.2	15.5	15.5	0
9	927113	(BPCL)	14.2	15.9	15.9	0
10	605840	(IOC)	14.2	15.6	15.6	0
				Total		70.1

अतः जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 70.1 K.G. एलपीजी गैस, 01 मोटर मय पाईप को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे परोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 10.02.2023 को जिला रसद अधिकारी बहमराह प्रवर्तन अधिकारीगण द्वारा मै0 राजेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा ग्राम मालेडा के मकान में अवैध गैस सिलेण्डर के भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी की दुकान में 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहनों



जिला कलेक्टर
राजस्थान

में रिफिलिंग के काम में आने वाली मोटर मय रेग्यूलेटर पाईप के रखी होना पाई गई। मौके पर पाई गई मोटर का एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुड़ा हुआ था। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोड़ा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य होता है। बिना वैध दस्तावेजों एवं अनुज्ञा पत्र के घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय पाईप मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कारण उपरोक्त 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों व मोटर को जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु सूफी इण्डेन गैस के प्रतिनिधि श्री प्रधान गुर्जर पुत्र श्री सवाईराम गुर्जर निवासी माताजी का थावला देवली की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 70.1 K.G. एलपीजी गैस, 01 मोटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 10.02.2023 के अनुसार मै० राजेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा ग्राम मालेडा तहसील देवली के मकान का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से वाहनो मे रिफिलिंग के कार्य में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 10 सिलेण्डर मय पाईप व मोटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी नाम	का	मानक भार K.G.	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस K.G.
1	28892	(BPCL)		14.2	15.8	29.7	13.9
2	931656	(BPCL)		14.2	15.8	29.4	13.6



जिला कलेक्टर
टोंक

3	192567	(BPCL)	14.2	15.6	29.8	14.2
4	11200	(IOC)	14.2	15.4	29.7	14.3
5	248951	(BPCL)	14.2	16.5	16.5	0
6	306293	(IOC)	14.2	15.6	29.7	14.1
7	1120	(IOC)	14.2	15.6	15.6	0
8	820619	(BPCL)	14.2	15.5	15.5	0
9	927113	(BPCL)	14.2	15.9	15.9	0
10	605840	(IOC)	14.2	15.6	15.6	0
				Total		70.1

जांच करने पर दुकान/मकान में मौके पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर राजेन्द्र, प्रधान व नरेश के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी राजेन्द्र, प्रधान व नरेश के हस्ताक्षर हैं। सूफी इण्डेन गैस के प्रतिनिधि श्री प्रधान गुर्जर निवासी माताजी का थावला देवली को उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व वाहनो में रिफिलिंग के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 10 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 70.1 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कोलकाता
जिला कोलकाता टोंक